

प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,  
पशुपालन विभाग,  
30प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग,

एटा/मैनपुरी/बिजनौर/खीरी/गौतमबुद्धनगर/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/अमरोहा/रामपुर/बदायूं/शाहजहाँपुर/पीलीभीत/  
अम्बेडकरनगर/बाराबंकी/इटावा/फतेहपुर/प्रतापगढ़/कौशाम्बी/लखनऊ/उन्नाव/सीतापुर/हरदोई/रायबरेली/जौनपुर/  
गाजीपुर/चन्दौली/मिर्जापुर/सोनभद्र/संतरविदासनगर/फर्रुखाबाद/कानपुर-देहात/कन्नौज/औरैया/कासांज।

संख्या-

/बजट/29(5)/अनु0-11/01/2018-19

दिनांक : 19-12-2018

विषय:-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पशुपालन विभाग की परियोजनाओं के संचालन हेतु धनराशि का ऑवटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1275/12-3-2018-100(52)/2017, दिनांक 06-12-2018 द्वारा पशुपालन विभाग के अन्तर्गत (Establishment of Disease Diagnostic Laboratories at District Level) के अन्तर्गत मानक मद 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय में ₹0 1642000.00 (रूपये सोलह लाख ब्यालिस हजार मात्र) की प्राप्त स्वीकृति के आधार पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास के पत्र सं0-1156/सा0-1/एक्स-84(120)/2014-15, दिनांक 13-12-2018 द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु Alloment Grid Report के अनुसार उल्लिखित धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपको ऑवटित की जाती है। शर्तों से विचलन की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

- (1) ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा उक्त लेखाशीर्षक में पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही ऑवटित धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- (2) ऑवटित की जा रही धनराशि का ऑवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित, बाह्य सहायित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिसमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैरवैतन) दिया जाता है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शा0 सं0-3497/123-2012-100(70)/2012, दि0 7-11-2012 के अनुपालन में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
- (3) निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा ऑवटित धनराशि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-3-2015 के संगत प्राविधान के अनुसार आहरित कर क्रमांक-1 पर अंकित परियोजना Strengthening and modernization of Govt. Livestock farm at Niblet Barabanki हेतु 30प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराई जायेगी।
- (4) ऑवटित की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस. एल. एस. सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाईन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जाये जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जाये और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जाये। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध कराई जाये। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही किया जायेगा।
- (5) योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाय। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही निदेशक, पशुपालन विभाग, 30प्र0 द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
- (6) ऑवटित की जा रही धनराशि से सम्भावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ऑवटित धनराशि का आहरण एकमुश्त न किया जाय क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर

(12/12/18)

NPH

धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वनिर्णयित प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

- (7) ऑडिट की जा रही धनराशि के व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6-6-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मातकों (स्टेण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (8) आहरण वितरण अधिकारी ऑडिट धनराशि से जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित किया जाय। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण नोडल अधिकारी, मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
- (9) वित्त लेखानुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-11, दि0 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी.बी.टी., दिनांक 25-2-2015 द्वारा डायरेक्ट बनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः ऑडिट धनराशि का तदनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
- (10) उक्त ऑडिट धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ का होगा।
- (11) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-11 के अधीन लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0205-पशुपालन की योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.) के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
- (12) ऑडिट की जा रही धनराशि की प्रविष्टि ऑडिट पंजिका के क्रम संख्या-01 (अनुदान-11) पर अंकित कर ली गई है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक।

संख्या-1145/बजट/29(5)/अनु0-11/01/2018-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदेश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, कासगंज/एटा/मैनपुरी/बिजनौर/खीरी/गौतमबुद्धनगर/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/अमरोहा/रामपुर/बदायूं/मिर्जापुर/शाहजहाँपुर/पीलीभीत/कलेक्ट्रेट-लखनऊ/अम्बेडकरनगर/बाराबंकी/इटावा/फतेहपुर/प्रतापगढ़/कौशाम्बी/उन्नाव/सीतापुर/औरैया/हरदोई/रायबरेली/जौनपुर/गाजीपुर/चन्दौली/सोनभद्र/संतरविदासनगर/फर्रुखाबाद/कानपुर-देहात/कन्नौज।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1)/लेखानुभाग, 30प्र0, इलाहाबाद।
- (3) अनुसचिव, कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) अनुसचिव, पशुधन अनुभाग-2, 30प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- (6) योजनाधिकारी अपर निदेशक (गो0वि0)/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मुख्यालय को निदेशक, प्रशासन एवं विकास के पत्र सं0-1156/सा0-1/एक्स-84(120)/2014-15, दिनांक 13-12-2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि ऑडिट धनराशि के व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ, कृषि भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (8) संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय।
- (9) कम्प्यूटर ऑपरेटर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ऑडिट को विभागीय वेबसाइट पर फीडिंग करने का कष्ट करें।
- (10) व्यय सहायक, बजट अनुभाग, मुख्यालय।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक।

9/12

**Print Report**

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2018-2019  
आवंटन दिनांक-19/12/2018

प्रेषण संख्या:- 1145  
आवंटन आदेश संख्या:- 006-29-5-ANU-11-01-2018-19  
अनुदान संख्या:- 11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2401 - फसल कृषि कर्म(आयोजनेतर-मतदेय)  
800 - अन्य व्यय  
02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.रा.)  
05 - पशुपालन की योजनायें (के.60/रा.40-के.रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	योग
1	सहारनपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
2	मुजफ्फर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
3	मैनपुरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
4	एटा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
5	बिजनौर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
6	बदायूं-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
7	शाहजहांपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
8	पीलीभीत-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
9	रामपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	37000 37000	37000 37000
10	फर्रुखाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
11	इटावा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
12	फतेहपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
13	मिर्जापुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
14	जौनपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
15	गाज़ीपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
16	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
17	उन्नाव-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
18	रायबरेली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	योग
19	सीतापुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
20	हरदोई-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
21	लखीमपुर खीरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
22	प्रतापगढ़-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
23	बारबंकी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	5000 5000	5000 5000
24	कानपुर देहात-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
25	सोनभद्र-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
26	संत रविदास नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
27	अम्बेदकर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
28	गौतमबुद्ध नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
29	चन्दौली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
30	औरैया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
31	कौशाम्बी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
32	कन्नौज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
33	अमरोहा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
34	कांसगंज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , - -01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
	<b>योग</b>	वर्तमान प्रगामी	1642000 1642000	1642000 1642000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रूपया सोलह लाख बयालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया सोलह लाख बयालीस हजार

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

वित्त नियंत्रक

C/1/2